कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / **Q-1** / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर, दिनांक 01.12.2024

प्रवेश वर्ष 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (PG Degree MD/MS) की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु संशोधित प्रथम आवंटन (Revised First Allotment) एवं प्रवेश हेतु सूचना

आज दिनांक 01.12.2024 को छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (PG Degree MD/MS) की संशोधित आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु समय–सारणी :–

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	दिनांक एवं समय
1	स्क्रुटनी एवं प्रवेश की प्रारंभ तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 02 दिसम्बर 2024, समय** Server Time 14:00 Hrs (02:00 PM) से
2	स्क्रुटनी की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 05 दिसम्बर 2024, समय** Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)
3	आबंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	**दिनांक 05 दिसम्बर 2024, समय** Server Time 18:00 Hrs (06:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस है)

"सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 को अवलोकन करें, विशेषकर नियम *14 को पढ़कर ही आबंटन पत्र प्रिंट (Print) करने की कार्यवाही करें।"

**** छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021, का नियम 14 :–***

14 (क) काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों को यह विकल्प होगा कि वे उन्हें आबंटित सीट को स्वीकार करे अथवा आबंटित सीट को अस्वीकार कर काउंसिलिंग के अगले चरण में सम्मिलित हो।

14 (ख) उपरोक्त उप–नियम (क) के अंतर्गत यदि अभ्यर्थी द्वारा उसे आबंटित सीट स्वीकार की जाती है तो, अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

14 (ग) प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पात्रता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों की छानबीन (स्क्रूटनी) करानी होगी। छानबीन नहीं कराने की स्थिति अथवा छानबीन में अपात्र होने पर अथवा निर्धारित तिथि तक फीस जमा कर प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

क्रमशः...2...

01/12/2024

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्कूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहॉ पर स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया किया जाना है)
01	i) श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस रायपुर ii) रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, रायपुर	*पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर*
02	i) श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, जुनवानी भिलाई	*चंदुलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग*

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

नोट :–

1. जिन अभ्यर्थियों को संशोधित आवंटन सूची में आवंटन प्राप्त हुआ है एवं अभ्यर्थी उस विषय एवं संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के नियम '14 के अनुसार अपने लॉग–इन पोटर्ल में जाकर संशोधित आवंटन पत्र (REVISED ALLOTMENT LETTER) प्रिंट (Print) करने की कार्यवाही एवं स्कूटनी/प्रवेशित स्थल पर उपस्थित होकर आगामी काउंसिलिंग प्रकिया करना अनिवार्य होगा।
2. प्रवेश उपरान्त **Admission Receipt** जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः अभ्यर्थी भी रूचि लेकर **Admission Receipt** जारी कराये तथा उसकी एक कॉपी अवश्य ले। संस्था स्क्रूटनी पावती (**Scrutiny Receipt**) स्क्रूटनी की अंतिम तिथि को रात्रि 08:00 बजे (20:00 Hrs) तक तथा प्रवेश पावती (**Admission Receipt**) प्रवेश की अंतिम तिथि को रात्रि 11:59 बजे (23:59 Hrs) तक जारी कर सकेंगे।
3. आगामी काउंसिलिंग, आबंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट ***www.cgdme.in*** एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट ***https://cgdme.admissions.nic.in/*** का नियमित अवलोकन करें।
4. सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन छ0ग0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है, **अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।**
5. **छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 का अवलोकन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।**

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

for 01/12/2024
अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ. क्रमांक/ **Q-2** /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2024 रायपुर, दिनांक 01.12.2024

प्रतिलिपि :– 1. अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

for 01/12/2024
अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.